सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 509/16 **निर्णय दिनांकः–**

1. तीजा पत्नी बख्ताराम जाति नायक निवासी कानासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12–11–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति :–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 12–11–2008 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन से पुख्ता आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के ससुर श्रीगणेशाराम पुत्र अन्नाराम के नाम ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 324/2 में 25 बीघा भूमि द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर

आराजी जैर भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को उसकी आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा दिया गया। तब से आज दिनांक तक अपीलांट आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर अपीलांट का मकान, बाड़ा आदि बनाकर परिवार सहित आबाद है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को 10 बीघा का पात्र घोषित करते हुए दिनांक 13—08—2007 को 10 बीघा आराजी का आवंटन किया गया। जिसकी राशि 2025/— रूपये खजानाराज में जमा करवा दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा बिना कोई ठोस कारण के अपीलांट के ससुर को आवंटित भूमि आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत जाकर निरस्त की गई जो स्पष्ट रूप से अपीलांट के हित व अधिकारों पर कुठाराघात है।

राज्य सरकार के आदेशानुसार टी.सी. आवंटियों को पुख्ता आवंटन करने के आदेश प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के टी. सी.आवंटन को पुख्ता किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र नियमित कब्जा न मानकर खारिज कर दिया गया जो विधि सम्मत नहीं है। जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आराजी जैर पर अपीलांट की मौके पर झोपड़ी बनी हुई है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा बताया गया है।

अपीलांट ने उक्त आराजी के पुख्ता आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् बिना किसी आधार के अपीलांट का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। जो कानून व विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट के विपरीत होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज नहीं है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावोजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(अ)** जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलांट को तहसील कोलायत के ग्राम कानासर के 324/2 में 25 बीघा भूमि द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर आराजी जैर भूमि आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटन की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को उसकी आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा दिया गया।

(ब) अपीलांट द्वारा आराजी जैर के टी.सी. से पुख्ता आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तहसीलदार हल्का से आवेदित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार अपीलांट के ससुर गणेशाराम पुत्र अन्नाराम को खसरा नम्बर 324/2 में 25 बीघा भूमि तीन साला आवंटन सवंत् 2026 मे हुआ जिसका संवत 2030 में एक साल मियांद बढाई गई थी। संवत् 2032 में उक्त आराजी में से 15 बीघा भूमि भंवरा पुत्र फूसा पुरोहित को टी.सी. मे आवंटन हुआ जो रिकार्ड में बदस्तुर चला आ रहा है। हल्का पटवारी द्वारा शेष 10 बीघा भूमि के कब्जे के संबंध में यह अंकित नहीं किया गया है कि उक्त शेष भूमि पर अपीलांटा तीजा का कोई कब्जा काश्त पाया गया है।

(स) हमने अदालत मातहत की पत्रावली अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि चूंकि आराजी जैर 25 बीघा भूमि में से 15 बीघा भूमि भंवरू पुत्र फूसा पुरोहित को आवंटनशुदा है तथा शेष 10 बीघा भूमि रकबा राज है तथा मूल आवंटी श्री गणेशाराम फौत हो चुका है। रिकार्ड में 10 बीघा भूमि गणेशाराम के नाम नहीं है। अपीलांट द्वारा गणेशाराम के वारिसान की सूची अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जायज वारिसान की सूची प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। प्रार्थी का आवंटन से अब तक नियमित कब्जा नहीं रहा है और ना ही प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थी का आवंटन से अब तक कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। अतः चूंकि आवंटन नियमों के अन्तर्गत प्रार्थी का अस्थाई आवंटित भूमि पर नियमित कब्जा नहीं होने के कारण बारानी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

(द) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का आवंटन से अब तक नियमित कब्जा नहीं रहा है और ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे उसका प्रश्नगत् भूमि पर नियमित कब्जा प्रमाणित होता हो। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष गणेशाराम जो कि मूल टी.सी. आवंटी के जायज वारिसान की कोई सूची प्रस्तुत नहीं की है, जिससे साबित हो सके कि गणेशाराम के जायज वारिसान कौन—कौन है। जबकि अदालत मातहत की स्वयं की पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी अपीलांट के वादगत भूमि पर कब्जे बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

(य) अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष न तो जायज वारिसान की कोई पुख्ता सूचना दी गई ना ही अपीलांट 10 बीघा भूमि पर किस आधार पर काबिज ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे साबित हो की

वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त हो। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का टी.सी. से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—11—2008 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर